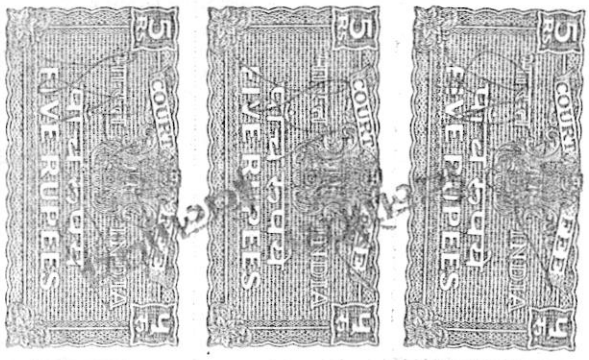

13

COURT FEE FIVE RUPEES INDIA 5 | COURT FEE FIVE RUPEES INDIA 5 | COURT FEE FIVE RUPEES INDIA 5

of-13 15/-2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० /2005 पुनरावलोकन

रिव्यू 83-II/2005

श्री 20 एड लोक वाजपेयी अभि० द्वारा आज दि० 24.11.05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
24 JAN 2005

1- राजेश कुमार } पुत्रगण भंवरसिंह
2- रामकुमार }

निवासीगण ग्राम आकोन तहसील अटेर
जिला भिण्ड (म०प्र०) -- आवेदकगण

विरुद्ध

1- हिम्मतसिंह } पुत्रगण मंगलसिंह
2- मदनसिंह }

3- रामजीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण

4- शालू } पुत्रगण भोगीराम
5- गंगासिंह }

6- सुरेश }
7- रमेश } पुत्रगण रघुवीर
8- महेश }

9- नरोत्तम पुत्र अमरबलसिंह

10- तुलाराम } पुत्रगण रामचरण
11- पूरेसिंह }

12- सोबीराम पुत्र गयादीन

निवासीगण ग्राम आकोन तहसील अटेर
जिला भिण्ड (म०प्र०) -- अनावेदकगण

28-1-2005

श्री एम० के० सिंह, सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्र०क्र० 1422-3/2000 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 20-12-2004 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन-पत्रअन्तर्गत धारा-51 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरावलोकन --

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 83–दो/2005 जिला –भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1422–तीन/2000 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2004 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 83–दो/2005 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1422–तीन/2000 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 20.12.04 से किया जा चुका है। 4– प्रकरण कमांक रिव्यु 83–दो/2005 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य